195 (क)लेख न्याय पालिका और लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धा से होने वाले नुकसान पर

(ख) ज्ञान यज्ञ परिवार की भावी योजना

(ग) गोविंदाचार्य जी से संपर्क तथा सहयोग के विषय में

(घ) गेरा जी के उत्तर में रामानुजगंज विकास खंड की अच्छाईयॉ और कमजोरियों का विवरण

(च)दलित सम्मेलन जयपुर में गांधी की आलोचना की समीक्षा

(क) न्याय पालिका और लोकतंत्र

न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका का समन्वित स्वरूप ही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक भी होते है तथा नियंत्रक भी । इसका अर्थ यह हुआ कि इन तीनो में से कोई अंग कमजोर पड़ रहा हो तो शेष दो उसे शक्ति दें और यदि कोई अंग अधिक मजबूत हो रहा हो तो उसके पंख कतर दें । लोकतंत्र की सबसे घातक स्थिति वह होती है जब तीनो अंग एक दूसरे को कमजोर करके स्वयं शक्तिशाली होने की प्रतिस्पर्धा में जुट जावें । लगता है कि वर्तमान भारत में न्यायपालिका और विधायिका के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। इस टकराव की पहल तो विधायिका ने ही की है और न्यायपालिका ने लम्बे समय तक इसे सहन भी किया लेकिन जबसे न्यायपालिका इस टकराव में कूदी है तबसे उसने भी मुड़ कर समीक्षा नहीं की । परिणाम टकराव के रूप में दिख ही रहे है।

इसी माह न्यायपालिका ने दो महत्वपूर्ण विचार दिये पहला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने के अधिकार संबंधी और दूसरा नक्सलवाद का मुख्य कारण राजनैतिक न होकर आर्थिक होने की सलाह संबंधी । इन दोनों की विस्तृत विवेचना आवश्यक है । पहला मामला यह है कि बंगाल सरकार हाई कोर्ट के आदेश के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट गई थी कि न्यायालय किसी भी राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी मामले में सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती । बंगाल सरकार के अनुसार कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और सीबीआई केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने विचार किया और कई वर्ष तक विचार करने के बाद निर्णय दिया कि न्यायालय को ऐसा अधिकार है।

न्यायपालिका के कई कार्य है। सामान्यतया न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करती है। यदि न्याय और कानून आपस में विरूद्ध हो जावें तो न्यायपालिका संविधान के अनुसार उक्त कानून की समीक्षा करती है। किन्तु यदि कभी संविधान और न्याय भी आपस में टकरा जावें तब न्यायपालिक प्राकृतिक न्याय के पक्ष में संविधान की भी समीक्षा कर सकती है। जब इन्दिरा गांधी ने तानाशाही अधिकारों से लैस होकर कहा था कि संसद सर्वोच्च होने से उसे संविधान संशोधन के असीम अधिकार प्राप्त है तब न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि संसद ऐसा कोई

संविधान संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मौलिक स्वरूप ही बदल जावें । यह मौलिक स्वरूप क्या है इसकी आज तक व्याख्या नहीं हुई किन्तु संविधान का मौलिक स्वरूप है तो अवश्य । मेरे विचार में संविधान का मौलिक स्वरूप यही है कि संविधान स्वयं भी किसी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार अकारण नहीं छीन सकता । इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि मनुष्य एक स्वतंत्र इकाई है जिसे प्राकृतिक रूप से जीने का मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त है। यह अधिकार कोई भी संविधान छीन नहीं सकता । भारत में भी यही व्यवस्था है। मनुष्य को मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त भी नहीं है और संविधान उसकी व्याख्या नही कर सकता । वे तो मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है जिनकी सुरक्षा की गारंटी मात्र संविधान देता है।

जब संविधान प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी देता है और न्यायपालिका उस संविधान की पहरेदार तीन इकाईयों में से एक है तो न्यायपालिका का यह दायित्व है कि किसी भी मामले में संविधान की रक्षा करें और यदि कोई समस्या खड़ी हो तो संविधान से उपर भी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करें । राज्य और केन्द्र ने आपस में अधिकारों का जो विभाजन किया है वह सरकारों का आपसी विभाजन है। वह विभाजन वही तक न्याय संगत है जहॉ तक वह व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में सक्रिय और सहायक है। यदि वह विभाजन ऐसी सुरक्षा के विरूद्ध है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही चाहिये क्योकि न्याय विहीन व्यवस्था घातक होती है और व्यवस्था विहीन न्याय असफल । बंगाल सरकार का तर्क न्याय विहीन व्यवस्था के पक्ष में होने से प्रथम दृष्टि में अमान्य था । पता नही सुप्रीम कोर्ट ने इतने वर्ष इस मामूली बात में क्यों लगाये ।

ठीक इसी समय छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा का एक मामला सुप्रीम कोर्ट मे रहा । सच्चाई यह है कि सम्पूर्ण भारत में छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा प्रदेश है जिसकी सरकार पूरी ईमानदारी से नक्सलवाद का मुकाबला कर रही है अन्यथा अन्य सरकारें तो मुकाबले का नाटक मात्र कर रहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश भर के मानवाधिकार वादियों को यहॉ आइना दिखा दिया । मेघा पाटकर संदीप पांडे सहित कई मानवाधिकारी सांढ़ पूरे भारत में छुट्टा घूमते रहे किन्तु छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में उनका नकाब उतर गया । उस सरकार के दंतेवाडा गोलीकांड मामले में समीक्षा अवसर पर न्यायालय ने टिप्पणी कर दी कि नक्सलवाद राजनैतिक संघर्ष न होकर आर्थिक संघर्ष है जिसके लिये आर्थिक विकास का मार्ग भी पकड़ने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की सलाहकार इकाई न होकर समीक्षक इकाई है। न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं कि वह लोकतंत्र की अन्य दो इकाईयों को सलाह दे कि वे नक्सलवाद से कैसे निपटें । नक्सलवाद की पहचान कारण और समाधान की नीति बनाना विधायिका का काम है, नीति का कार्यान्वयन कार्यपालिका का और उस नीति से संविधान का उल्लंघन न हो यह समीक्षा करना न्यायपालिका का । जब न्यायपालिका को ही यह अधिकार प्राप्त नही तब न्यायालय के न्यायाधीशों की ऐसी टिप्पणी तो भ्रम भी पैदा करती है और हानिकर भी है। किसी न्यायाधीशं की व्यक्तिगत धारणा भी भिन्न हो सकती है और सोच भी किन्तु न्यायाधीश को ऐसी धारणाऍ कुर्सी पर बैठ कर व्यक्त करने का अधिकार नहीं । वहॉ बहस इस बात पर नही हो रही थी कि नक्सलवाद क्या है और उसका समाधान क्या है ? चर्चा का मुद्दा मात्र यह था कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मारे गये लोग सामान्य नागरिक थे या

नक्सलवादी । पता नहीं क्या सोचकर न्यायाधीशों ने ऐसी अनावश्यक और गलत टिप्पणी कर दी।

सच बात यह है कि नक्सलवाद के फैलाव का कारण कही भी विकास का अभाव नहीं है । नक्सलवाद की लड़ाई अपढ़ और गरीब लोग नहीं लड़ रहे । इस लड़ाई को लड़ने वाले प्रमुख लोग पढे लिखे विद्वान लोग है जो यह मानते है कि सत्ता परिवर्तन का यही एक उपयुक्त मार्ग है। अविकसित क्षेत्रों से तो संघर्ष का प्रारंभ मात्र है जिसे बढ़ते बढ़ते विकसित क्षेत्रों तक जाना है। वे तो चाहते है कि इस बहाने इस पिछड़े क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सरकारी धन आवे जिसका बड़ा हिस्सा उनके आन्दोलन के काम आवे । न्यायाधीश महोदय नक्सलवाद आने के बाद जो बात कह रहे है वह बात या तो पहले कहनी चाहिये थी या बाद में किन्तु ठीक युद्ध के मैदान में इस तरह की अनावश्यक सलाह घातक हो सकती है।

मेरी अब भी मान्यता है कि नक्सलवाद का समाधान न ही बन्दूक है न ही विकास। नक्सलवाद का समाधान है स्थानीय स्वायत्तता । सरकार गांवो को अधिकतम स्वायत्तता दे दें और इसके बाद भी जो न माने उसे चाहे कानून से मारे या बिना कानून के यह सोचना हमारा विषय नहीं । हमारा विषय तो सिर्फ इतना ही है कि सरकार ग्राम सभाओं को मजबूत करें। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम सभा सशक्तिकरण पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया है। मुझे दुख है कि माननीय न्यायपालिका का ध्यान इस तीसरे समाधान की ओर नहीं गया।

अंत में मै कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा में तैंतीस प्रतिशत की हिस्सेदार है। वह अपनी गंभीरता को समझे तो लोकतंत्र में सहायक होगा ।

(ख) अपनों से अपनी बात

तीस सितम्बर दो हजार नौ को दिल्ली में ज्ञान यज्ञ परिवार नाम से संगठन बनाने की योजना बनी थी । योजना अनुसार कार्य शुरू हुआ । ज्ञान यज्ञ परिवार का ध्वज पूर्व में ही निश्चित था । ज्ञान यज्ञ परिवार के अंतर्गत पांच स्वतंत्र संगठन काम शुरू किये ।

(1) ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान ।

(2) लोक स्वराज्य अभियान ।

(3) ज्ञान मंदिर योजना ।

(4) मानसिक व्यायाम

(5) ट्रस्ट एवं संरक्षण सभा ।

(1) ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान की सक्रियता रामचन्द्रपुर विकास खण्ड के एक सौ तेरह गांव, हरियाणा का एक गांव तथा अम्बिकापुर के एक गांव तक सीमित है। इन गांवों में पचीस दिसम्बर नौ से पांच कार्य प्रारंभ किये गये है।

(क) लोक और तंत्र के बीच दूरी कम होना ।

(ख) वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना ।

(ग) अहिसंक समाज रचना ।

(घ) भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत व्यवस्था ।

(च) ग्रामीण उत्पादन तथा उपभोग की सभी वस्तुओं को कर मुक्त नियंत्रण मुक्त करने हेतु शासन से निवेदन ।

नगर सभा सशक्तिकरण की रामानुजगंज शहर में तैयारी चल रही है। ग्राम सभा नगर सभा सशक्तिकरण अभियान का संचालन श्री केशव चौबे जी उर्फ स्वराज बाबा कर रहे है।

(2) लोक स्वराज्य अभियान– इसका केन्द्रीय कार्यालय सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र तथा सह कार्यालय 20/306 कल्याणपुरी दिल्ली में है। इस अभियान का प्रमुख कार्य समाज में लोक स्वराज्य की भूख पैदा करना है। इसके लियें राजनेताओ से मांग करनी है कि वे संविधान में परिवार गांव, जिले के अधिकारों की सूची शामिल करें । इस मांग के साथ साथ राइट टू रिकाल या अन्य मांगें भी जोड़ी जा सकती है। इस पूरे कार्य का औपचारिक नेतृत्व तो ठाकुर दास जी बंग के पास है किन्तु स्वास्थ्य कारणों से दुर्गा प्रसाद जी आर्य सम्हाल रहे है। दिल्ली कार्यालय ओमप्रकाश जी दुबे के संचालन में है।

(3) ज्ञान मंदिर योजना । इसके अन्तर्गत एक स्कूल शुरू किया गया है जो रामानुजगंज शहर में स्थित है। अभी स्कूल आठवीं कक्षा तक संचालित है। इसका कार्यालय रामानुजगंज धर्मशाला में है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों में सामाजिक विचार भरने की योजना है। कुछ शिक्षा विद मिलकर इसकी रूपरेखा बना रहे हैं । दो अन्य स्कूल गांवों मे प्रारंभ करने की तैयारी है।

(4) मानसिक व्यायाम योजना । इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की चिन्तन शक्ति का इस तरह विकास करना है कि वह न तो किसी से जल्दी ठगा जाय न ही जीवन में कभी निराश हो । मानसिक व्यायामक करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के हर काम में अधिकाधिक सफल हो ऐसी शक्ति विकसित होना ही इस योजना की सफलता है।

इस कार्य का केन्द्रीय कार्यालय बनारस चौक अम्बिकापुर है। रामकृष्ण जी पौराणिक उज्जैन इसके प्रमुख है । आर्चाय पंकज, ईश्वर दयाल जी राजगीर आदि सहायक है। इस कार्य में निम्न कार्य प्रमुख है–

क. ज्ञान तत्व विस्तार । इसमें ज्ञान तत्व की पाठक संख्या बढ़ रही है।

ख. ज्ञान कथा । अभी सात दिन की कथा तीन मार्च से नौ मार्च तक रामानुजगंज में हो रही है। इसकी विषय सूची यह हैं :–

(1) ज्ञान कथा क्यों ?

(2) धर्म संप्रदाय और समाज।

(3) अपराध और अपराध नियंत्रण।

(4) आर्थिक समस्याएँ और समाधान।

(5) समाज मे महिलाओं की स्थिति।

(6) नयी समाज रचना।

(7) लोक तंत्र या लोकस्वराज्य ।

अप्रील माह में तीन दिनों की ज्ञान कथा बिजनौर में हो रही है जिसके आयोजक डा. प्रकाश है। अप्रील माह में तीन दिनों की कथा कुरूक्षेत्र में हो रही है जिसका आयोजन श्री रणवीर शर्मा आई. जी. पुलिस कर रहे हैं । मई में तीन दिनों की कथा राजस्थान में होगी जिसके आयोजक श्री अशोक गदिया जी होंगे । इन चार आयोजनों के बाद समीक्षा होगी और तब आगे योजना बनेगी ।

ग. व्यायाम केन्द्र– पूरे भारत में सौ ऐसे केन्द्र बन रहे है जिनको ज्ञान तत्व विचार मंथन तथा सीडी भेजकर विचार मंथन बढ़ाने की योजना है। यह कार्य भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यद्यपि अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है।

घ. वेबसाइट–www.kaashindia.com नाम से वेवसाइट शुरू की गई है। इस साइट में पूरा साहित्य डाला जा रहा हैं। इसका संचालन रायपुर कार्यालय से हो रहा है। रवि अग्रवाल वेवसाइट की व्यवस्था देख रहे है।

च. मासिक विचार मंथन । यह मंथन कार्य प्रत्येक माह में एक बार रामानुजगंज में होता है। अब अम्बिकापुर में भी प्रारंभ करने की योजना हैं। अम्बिकापुर शहर की पूरी योजना का कार्य नन्दराम जी अग्रवाल तथा लेखराम जी देखते है।

5. ट्रस्ट एवं संरक्षण सभा । ज्ञान यज्ञ परिवार के सम्पूर्ण व्यय की सहायतार्थ दस हजार रूपया वार्षिक दान दाता ज्ञान यज्ञ परिवार ट्रस्ट के दाता सदस्य होंगे । यह ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होगा । यह ट्रस्ट पूरे कार्य को सहायता करेगा।

एक हजार रूपया वार्षिक देने वाले संरक्षक सभा के सदस्य होंगे । यह सभा स्थानीय स्तर पर होगी । इससे प्राप्त धन का स्वामित्व स्थानीय संरक्षक सभा का होगा । वे इस धन को आपसी विचार विमर्ष से खर्च करेगें । ट्रस्ट या संरक्षण सभा के धन पर ट्रस्ट या संरक्षण सभा का ही पूर्ण स्वामित्व तथा अधिकार होगा ।

इस सम्पूर्ण योजना का समन्वय अम्बिकापुर कार्यालय कर रहा है जिसका संचालन पंकज अग्रवाल के पास है। अम्बिकापुर कार्यालय बनारस चौक पर है।

मैनें पहले सोचा था कि सर्वोदय में भी बहुत बड़ी संख्या चरित्रवान लोगों की है और संघ में भी । यदि संघ, सर्वोदय, गायत्री परिवार और आर्य समाज एक साथ जुड़कर एक मंच बना ले तो व्यवस्था परिवर्तन कठिन नही होगा । मैने संघ और सर्वोदय के बीच की कटुता को कम करने की कोशिश की । मैने जितना ही संघ और सर्वोदय को समझाने की कोशिश की उतना ही उनका एक गुट विरोधी होने लगा। मेरी व्यक्तिगत राय है कि

(1) परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था मजबूत हो।

(2) धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्नों पर कानून से प्रतिबंध लगे।

(3) अल्प संख्यक बहु संख्यक का विचार समाप्त हो ।

(4) सम्पूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो।

(5) धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण समाप्त हो ।

मेरा स्पष्ट मत रहा है कि हिन्दुत्व की विचार धारा और इस्लामिक विचार धारा में बहुत अंतर है । हिन्दुत्व की विचारधारा पूरी तरह विज्ञान सम्मत है जबकि इस्लामिक रूढ़िवादी कट्टरवादी। इसके बाद भी संघ परिवार को मेरी यह सलाह बुरी लगती है कि हिन्दूराष्ट्र की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाय, गांधी को और ठीक से समझा जाय, मुसलमानों का विरोध न करके आतंकवाद तथा इस्लामिक कट्टरवाद का विरोध किया जाय । मेरा मानना है कि संघ परिवार को अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिये ।

मैने सदा ही निष्कर्ष निकाला कि गांधी की नीतियॉ ही समाज को गुलामी से बचा सकती है। अन्यथा राजनेता तो लगातार गुलाम बनाने की तिकड़म करते रहते है। गांधी के बाद भारत में कोई ऐसा व्यक्तित्व उभर ही नहीं पाया जो लोक स्वराज्य की दिशा में या तो समझ पाता या समझा पाता । यदि हुआ भी तो राजनेताओं की ताकत के समक्ष कमजोर पड़ा।

मैं समझ रहा था कि गायत्री परिवार और आर्य समाज को जुड़ने में दिक्कत नहीं होगी यदि सर्वोदय और संघ किसी न्यूनतम मुद्दे पर अल्पकाल के लिये एक साथ हो जावें । अन्य मुद्दों पर तो सहमति बनती भी थी किन्तु सर्वोदय के कुछ लोग गांधी हत्या का मुद्दा भुलाते नही थे और संघ परिवार गांधी हत्या के संबंध में चर्चा हेतु तैयार नहीं था । दोनो ही पक्षों के अधिकांश सामान्य कार्यकर्त्ता एकजुट होने को सहमत दिखे किन्तु दोनों ही पक्षों के झंडा पकड़े लोग जरा भी झुकने को तैयार नही हुए । स्थिति यहॉ तक आई कि दोनों पक्षों के कुछ झंडा धारियों को मुझसे भी विरोध होने लगा। उन्हें मेरी सलाह भी कांटे के समान चुभने लगी। सर्वोदय के एक दो लोगों ने सेवाग्राम में जैसा फतवा जारी किया वह सब जानते ही है। किन्तु रामानुजगंज की घटना ने मुझे बहुत सतर्क किया । रामानुजगंज संघ में नरम पंथी कार्यकर्त्ता अधिक है और कट्टरवादी कम। चार माह पूर्व एक घटना में कट्टरपंथी गुट साम्प्रदायिक टकराव को हवा देना चाहता था और नरमपंथी गुट टकराव को अनावश्यक मानता था । टकराव टल गया। नगरपालिका चुनावों में भाजपा ने नरमपंथी गुट के कार्यकर्त्ता को उम्मीदवार बना दिया । मुझे आश्चर्य हुआ जब कट्टरवादी गुट के लोगों ने उस संघ कार्यकर्त्ता के विरूद्ध सिर्फ इसलिये

गुप्त रूप से कांग्रेस पार्टी की मदद की कि संघ कार्यकर्त्ता होते हुये उसने हिन्दू मुस्लिम ध्रुवीकरण नही होने दिया । चिन्ता होती है यह देखकर कि हिन्दू कट्टरवादियों ने भी उस उम्मीदवार का साथ दिया जिसका मुस्लिम कट्टरवादियों ने दिया। आज भी आप देख सकते है कि बम्बई आई पी एल मैच के विरूद्ध मुस्लिम आतंकवादी भी धमकी दे रहे है और शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे भी । सभी कट्टरवादी तत्व दो विपरीत गुटों में बंटकर एक ही भाषा बोलते है यह मेरी पुरानी धारणा प्रमाणित हो गई ।

मै इस क्षेत्र में चोरी, डकैती के विरूद्ध लगातार सक्रिय रहता हूँ । नक्सलवादी आतंकवाद के विरूद्ध भी मेरी पूरी सक्रियता है। भ्रष्टाचार और गुण्डागर्दी के विरूद्ध मै रहता ही हूँ। इस्लामिक साम्प्रदायिकता को मैने कभी सहन नही किया । मै इन सबके विरूद्ध सक्रिय रहता हूँ तो मेरे ही कुछ कट्टरवादी साथी मेरे ही विरूद्ध रहते है। समझ मे नही आता कि वे क्या चाहते है? रामानुजगंज नक्सलवादी आतंक से जूझ रहा है। चोरी डकैती का खतरा बढ रहा है। छोटी छोटी बातों पर अन्य टकराव टालकर बड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये किन्तु कुछ लोग तो बस एक ही रट मुसलमान– मुसलमान लगाये रहते है और किसी तरह समझते ही नहीं।

इस तरह दोनो ही गुटो के कुछ प्रमुख ने अपनी मुर्गी की तीन टांग की रट से जरा भी कम पर चर्चा करना स्वीकार न करके उल्टा मुझे ही शत्रु मानना शुरू कर दिया तब हार थक कर मैने दोनों गुटो के मतभेद कम करने का अभियान छोड़ दिया और व्यक्तियों से अलग अलग चर्चा शुरू किया । जो कार्यकर्त्ता दोनों गुटों के मतभेद भूलकर एक साथ बैठ सकते है वे बैठे। जो लोग न बैठना चाहें वे अपनी अपनी दुकान अलग अलग चलाते रहे । पिछले तीस सितम्बर के बाद छः माह में ही ठीक प्रगति दिख रही है। आगे और भी प्रगति संभव है क्योंकि अब न तो उनको समझाने में शक्ति लगानी है न ही उनकी नाराजगी की परवाह करनी है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि दोनों गुटों की अनावश्यक चर्चा ही बन्द कर दी जाये क्योकि उन दोनों गुटों के कुछ प्रमुख क्षत्रपों ने न समझने की कसम खा ली है तो हम क्या कर सकते है।

मैं नही समझ सका कि ये लोग कट्टरपन के कारण ऐसी जिद पर अड़े है या जानबूझकर किसी स्वार्थ के कारण । किन्तु यह बात सच है कि दोनो ही गुटों के कुछ लोगों ने अपनी जिद के कारण समाज का बहुत नुकसान किया है । कार्यकर्त्ताओं का कर्त्तव्य है कि वे मेरी मजबूरी को समझेंगे ।

मेरी इच्छा है कि अब संगठन को समझाने की चिन्ता छोड़कर व्यक्तियों को समझाया जाय। जब से इस नीति पर काम शुरू हुआ है तबसे कुछ काम बढ़ना शुरू हुआ है। हो सकता है कि यह मार्ग कुछ बढ़ने में सफल हो ।

प्रश्नोत्तर

(ग) (1) श्री सुरेन्द्र विष्ट बम्बई

प्रश्नः– श्री गोविंदाचार्य जी ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि संपूर्ण राष्ट्रीय बजट का सात प्रतिशत गांवों पर खर्च होना चाहिये जो वर्तमान में नहीं हो रहा है। यह सात प्रतिशत राशि पंचायतों को सीधे देनी चाहिये जिससे बीच में गड़बड़ न हो सके। गोविंदाचार्य जी ने आठ फरवरी को देश भर से आये करीब पांच सौ लोगों के साथ जन्तर मन्तर पर इस मांग के लिये धरना भी दिया तथा वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से मिलने की भी योजना है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? व्यवस्था परिवर्तन अभियान गोविंद जी शुरू कर रहे है। आपकी सहभागिता आवश्यक है।

उत्तरः– गोविंदाचार्य जी व्यवस्था परिवर्तन अभियान की दिशा में बढ़ रहे है यह अच्छी बात है । इस विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिये ।

व्यवस्था कई तरह की होती है जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि। गोविंद जी का व्यवस्था परिवर्तन से आशय राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन से है। व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था सुधार बिल्कुल अलग अलग होता है। लोक तंत्र को लोक स्वराज्य में बदलना ही व्यवस्था परिवर्तन है जिसे दूसरे शब्दों में संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना कह सकते है। अन्य सारे प्रयत्न व्यवस्था में सुधार कहे जाने चाहिये ।

वर्तमान संसदीय लोकतंत्र की अर्थ व्यवस्था में मौलिक सुधार करने के लिये तो स्वतंत्र अर्थपालिका ही एक मात्र मार्ग है। अन्य सारे सुधार मौलिक न होकर आंशिक ही होंगे । क्योंकि यदि हमने विधायिका के आर्थिक मामलों में निर्णय के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाया तो वे सात प्रतिशत बजट गांवों को देकर कई प्रकार के नये नये टैक्स थोप देंगे जिन्हें रोकना हमारे अधिकार में नहीं होगा । स्वतंत्र अर्थपालिका का अर्थ हुआ कि राज्य की टैक्स लगाने की स्वतंत्रता सीमित हो जायगी ।

किन्तु यह कार्य भी कठिन दिखता है। इसलिये सात प्रतिशत बजट राशि ग्राम सभाओं को सीधे देने की मांग भी वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में आंशिक सुधार तो करेगी ही। यदि सरकार इतना भी करने को तैयार हो जाती है तो राजनेताओं की स्थानीय दादागिरी कम हो सकती है। सात प्रतिशत बजट गांवों को देना लाभदायक की होगा । मैं इस मांग के पूरा होने को कोई क्रान्तिकारी परिणाम तो नहीं समझता किन्तु इस मांग का पूरा होना उस दिशा में एक कदम अवश्य है।

इस संबंध में एक घटना बताना उचित होगा । हम लोक स्वराज्य अभियान में एक सूत्रीय मांग ''संविधान में परिवार गांव जिले की सूचियों का समावेश'' को लेकर सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे थे । कुछ दिनों बाद उसमें राइट टू रिकाल की मांग जुड़ गई । बीच में कुछ और मांगे जुडी जिन्हें हटाया गया । पिछले वर्ष सेवाग्राम में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की मांग को आधार बना दिया गया । राष्ट्रपति से मिलने गये। राष्ट्रपति जी ने अपना बढ़ा वेतन भत्ता घटाना

स्वीकार कर लिया । हमारा सारा आन्दोलन तहस नहस हो गया क्योकि तीस जनवरी दो हजार आठ को राष्ट्रपति से मिलने के पूर्व जो उत्साह और योजना थी वह तितर बितर हो गई । राष्ट्रपति के वेतन मांग सिर्फ सहायक मांग तक सीमित होनी चाहिये थी किन्तु वह मुख्य मांग के रूप सामने आ गई जो भूल हुई। सात प्रतिशत बजट गांवों की ग्राम सभाओं की सीधा मिले ऐसी मांग में हम आपके आंदोलन में साथ है। हम आपका समर्थन भी करेंगे और सहयोग भी किन्तु अब हम ऐसी तात्कालिक मांगों को अपने आंदोलन का भाग नहीं बनाना चाहते क्योकि ऐसी मांगे व्यवस्था में सुधार तक ही सीमित है।

फिर भी गोविंद जी की यह आवाज ग्राम सभाओं को मजबूत करने में सहायक होगी और हम आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे । आप आवश्यकतानुसार आदेश दीजियेगा ।

(घ) (2) श्री राधा कृष्ण गेरा, अशोक विहार, दिल्ली ।

प्रश्नः— पचीस दिसम्बर दो हजार नौ को आपके जन्म दिवस पर रामानुजगंज आने का अवसर मिला । वहॉ की शांति ने मन मोह लिया । आपकी योजना ने भी अनेक आशाओं को जन्म दिया है। वहॉ गरीबी भी देखी । ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरे भारत में आ गये है।

मेरे मन में गरीबी के प्रति सहायता का भाव जगा। अभी हम जैसे अनेक घरों में बड़ी मात्रा में अच्छी हालत के पुराने कपड़े मिल सकते है जिन्हें एकत्रित करके इन गरीबों की कुछ सहायता की जा सकती है। आप योजना बनाइये तो हम कुछ प्रयत्न करें । क्या उधर के लोग पुराने कपड़े लेना पंसद करेंगे ?

उत्तरः— आपने रामानुजगंज क्षेत्र को तीन दिनों तक देखा समझा इससे हमें खुशी हुई है। यहॉ पिछड़ापन है, गरीबी है, अशिक्षा है, शराब है। यहॉ के लोगों में ईमानदारी है, सच्चाई है, शराफत है, संतोष है। मैने अपने जीवन का लम्बा समय यहा बिताया और दो हजार पांच से आठ तक के चार वर्ष दिल्ली जैसे महानगर में भी बिताये । मैं अब भी निश्चित रूप से कहने की स्थिति में नहीं कि पिछड़ापन यहॉ मानू या दिल्ली में ।

यह पूरी तरह नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है । नक्सलवादी जो कुछ समझा देते है उसे ही ये सच मान लेते है । यदि सरकार समझा दे तब भी ये सच मान लेते है । इन्हे ऐसा लगता ही नही कि कोई इन्हें धोखा भी दे सकता है। सरकार लगातार इन पर जुल्म कर रही है। गैर आदिवासी की जमीन और इनकी अपनी जमीन के मूल्य में सौ गुने का फर्क है क्योकि ये अपनी जमीन गैर आदिवासी को बेच नहीं सकते । इस पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र विकास पर पूरी तरह रोक लगी हुई है । कोई भी व्यक्ति कृषि योग्य भूमि पर न घर बना सकता है न ही कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य कर सकता है। अपनी जमीन पर खड़े पेड़ काटने पर भी रोक हैं अपने खेत के गन्ने का गुड़ नहीं बना सकते । अपने खेत की पैदा कृषि उपज वन उपज स्वतंत्रता पूर्वक बेच नहीं सकते क्योकि कई प्रकार के सरकारी कर लगे हुये है । ऐसे ऐसे अत्याचार होते हुए भी राज्य भक्त समाज सेवी एजेन्ट घूम घूमकर इन्हें समझा देते है कि ये सभी कानून तो तुम्हारें हित में ही बने है। इस क्षेत्र के लोग भी मान जाते है कि ये कानून उनके हित में ही तो है।

अनेक समाज सुधारक आते है तो समझाते है कि शराब ही तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये बेचारे समझ जाते है। नक्सलवादी भी इनकी शराब छुड़ाने में दिन रात लगे है और सरकारी एजेन्ट भी । धर्म गुरू तो दिन रात यही कहते रहते है । ये बेचारे भी मान लेते है कि उनके पिछड़ेपन का एक मात्र कारण शराब ही है। वे अपनी ही गलती मान लेते है क्योकि इतने बड़े बड़े धर्म गुरू, अफसर, नेता, विद्वान झूठ तो बोलेंगे नहीं ।

अभी एक माह पूर्व ही मैने गांव गांव में घूमकर कहा था कि ग्राम सभा में आदिवासी गैर आदिवासी का भेद नहीं है। जाति धर्म, गरीब अमीर सब बराबर है। सबको समान अधिकार है। अभी परसों पंद्रह फरवरी को प्रसिद्ध गांधीवादी पंचायती राज्य विशेषज्ञ ब्रम्हदेव जी शर्मा आई.ए.एस. ने यहॉ एक बड़ी सभा रखी जिसमें कई हजार ग्रामीण इकट्टे हुए । मैं भी मंच पर वक्ता के रूप में था। शर्मा जी ने नारा दिया ''न लोक सभा न राज्य सभा, सबसे उपर ग्राम सभा'' । उन्होंने ग्राम सभा का महत्व तथा संवैधानिक अधिकार की विस्तृत व्याख्या की । साथ ही उन्होंनें यह भी कहा कि यह आदिवासियों की भूमि है। यहॉ आदिवासियों का विशेष अधिकार है। मैं सोचने लगा कि शर्मा जी की पहली बात सच है या दूसरी । यदि यहॉ आदिवासी को विशेष अधिकार है और होना भी चाहिये तो ग्राम सभा का पूरा अर्थ ही बदल जायेगा । ग्राम सभा में जाति भेद है ही नहीं । आदिवासी यहॉ के मूल निवासी है और अन्य बाहरी । यह बात यदि सच भी हो तो अब इसको ग्राम सभा के साथ जोड़ने से क्या लाभ है ? लेकिन शर्मा जी जीवन भर दोनों बाते एक साथ बोलते है।

अभी कुछ दिन पूर्व ही कलेक्टर सरगुजा ने कोयला खदान तथा कुछ अन्य उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव ग्राम सभाओं में पास करवाये । लोगों ने पास कर दिये । यहॉ तो गांव के गांव आदिवासी है। उनकी जमीन तो मिट्टी के मोल है क्योकि कोई गैर आदिवासी तो खरीद नहीं सकता है। सरकार ने जो भी मुआवजा कहा वह बाजार मूल्य से बहुत कम और आदिवासी भूमि मालिकों की अपेक्षा से बहुत अधिक था । शर्मा जी ने कारखाने या कोयला खदान का विरोध किया और आन्दोलन की रूपरेखा बताई । प्रश्न उठता है कि कौन सही है? शर्मा जी या सरकार । शर्मा जी एक ओर तो आदिवासियों की जमीन बिक्री पर सरकारी रोक के पक्षधर है तो दूसरी ओर आदिवासियों को प्राप्त मुआवजा भी अन्याय पूर्ण बता रहे है । मै नहीं समझ सका कि इतनी छोटी सी बात पर भी इतना बड़ा विद्वान स्पष्ट क्यों नही। गांव के लोग जमीन किसे बेचे यह निर्णय का अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिये । यदि ग्राम सभा संसद से भी उपर है तो संसद जमीन खरीद बिक्री पर प्रतिबंध कैसे लगा सकती है और ग्राम सभा तथा सर्वोदय के पक्षधर शर्मा जी ऐसे कानून का समर्थन कैसे कर सकते है । मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि इस पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिकरण का समर्थन करूॅ या विरोध ? मैने सभा में चुप रहना ही बेहतर समझा । यदि कोई साधारण आदमी होता तो कुछ चर्चा भी करता किन्तु कोई बड़ा विद्वान हो और गांधीवादी हो या आर.एस.एस. वाला हो तो चुप रहना ही अधिक अच्छा होता है। एक तरफ संघ वालों की सरकार है जो उद्योग पक्षधर है तो दूसरी ओर सर्वोदय जो उद्योग विरोधी है। बीच में पिस न जाउॅ इसलिये मुॅह बंद रखा ।

इस क्षेत्र के लोग राजनैतिक गुलामी में भी संतुष्ट है। आपस में भाईचारा है। आदिवासी गैर आदिवासी के दिन रात बीज बोये जा रहे है किन्तु उन बीजो का कुछ शिक्षितों

को छोड़कर कहीं प्रभाव नहीं है। मै स्वयं उलझन में हूॅ कि मैं आप सबके समक्ष इनकी उजली तस्वीर प्रस्तुत करूॅ या गन्दी ।

आपने पुराने वस्त्र बांटने की योजना पूछी । मैं इस कार्य में पहल नहीं कर सकता क्योकि मेरे विचार में क्रांति की पहल का यह सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। इसलिये पूरी शक्ति लोक स्वराज्य पर लगाना चाहता हूॅ । फिर भी यदि आप इस सेवा कार्य में मेरी सहायता चाहेंगे तो मैं बांटने में सहायता कर सकता हूॅ । योजना आप बनाइये । अभाव ग्रस्त लोग है। कुछ स्वाभिमानी नही भी ले सकते है और कुछ ले भी सकते है । यदि उन्हें बता दिया जाय कि लेना पाप है तो फेक देंगे और पुण्य है तो ले भी लेंगे ।

कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

(च)प्रश्नः– पिछले दिनों जयपुर में दलित साहित्य सम्मेलन सम्पन्न हुआ । सम्मेलन में मंच से गांधी को दलित विरोधी करार दिया गया । साहित्यकार कांचाइलैया जी ने इस संबंध में विस्तृत भाषण दिया। रमेश निर्मल जी ने भी उसका समर्थन किया । ओम थानवी जी ने कुछ सफाई देनी चाही तो उनका विरोध हुआ । गांधी बेचारे के साथ ऐसा क्यो होता है ?

उत्तरः– जब पेशेवर लोगों के पेशे में किसी महापुरूष के विचार बाधक होते है तब उक्त महापुरूष का ऐसा विरोध स्वाभाविक प्रक्रिया होती रही है। आप साठ वर्ष पूर्व की घटनाओं को याद करिये । सभी संघ वाले भी गांधी जी के विरूद्ध थे और कट्टरपंथी मुसलमान भी । दोनो आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हुए भी गांधी जी के विरोध में एक समान सक्रिय थे। अम्बेडकर जैसे दलित भी गांधी विरोधी थे और अम्बेडकर विरोधी सवर्ण भी । यहॉ तक कि साम्यवादी भी गांधी जी को भरपेट गाली देते थे और नेहरू पटेल भी अन्दर अन्दर कुढ़ते रहते थे । चारो ओर से सक्रिय भिन्न भिन्न पेशेवर लोग गांधी जी को बोझ समझते थे । फिर भी देश की पंचानवें प्रतिशत जनता गांधी को मानती थी और सम्मान देती थी ।

आज भी सभी पेशेवर लोग गांधी विरोधी ही है । इसके बाद भी गांधी अकेले भारत के जन जन में स्थापित हैं । न दलितों का विरोध काम आ रहा है न संघियों का डंडा ।

आपने दलित साहित्य सम्मेलन नाम देकर साहित्य का अपमान किया है । साहित्य यदि दलित है तो वह साहित्य न होकर साहित्य के नाम पर खुली कोई दुकान है। ऐसी दुकान पर यदि गांधी को गालियॉ न मिले तो और क्या मिले ?